बिजनौर–बास्ता–नजीबाबाद मार्ग (मुख्य जिला मार्ग) के किलोमि 21 से ग्राम खुशदेवी तारापुर–बिजनौर, जिला–बिजनौर के खस्रा सं.–647 पर मार्ग के मध्य से 22.86 मीटर की दूरी पर पेट्रोल/डीजल एम (रिटेल आउटलेट) स्थापित करने हेतु हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, गेरुए को नियम शर्तों के साथ लोकनिर्माण से सम्बन्धित अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत करने की संस्तुति की जाती है :–

1– मानचित्र मानक के अनुसार नहीं है।
2– प्रस्तावित निर्माण अभी तक प्राप्त नहीं किया गया है।
3– आवेदक के निरस्त पत्रक प्रस्तावित स्थान सम्बन्धी 00200 रोड साईट लेयिंग आर्डर एक्ट–1945 की धारा 13(1) अथवा 13(2) के अन्तर्गत कोई भाद न्यायालय में विचाराधीन नहीं है अथवा किसी प्रकार से भाद एवं विवाद के प्रकरण में आवेदक का उत्तरदायित्व होगा।
4– प्रस्तावित निर्माण स्थल फिजिकली सीमा के बाहर है।
5– प्रस्तावित स्थल बिजनौर–बास्ता–नजीबाबाद मार्ग (मुख्य जिला मार्ग) के किलोमि 21 के पास्ते और स्थित है।
6– प्रस्तावित निर्माण भूमि योग भूमि पर अथवा जाम प्रस्तावित नहीं है।
7– रिटेल आउटलेट की सर्विस रोड के लिये 06 किलोमि की दूरी पर सर्विस स्टेशन नहीं है।
8– कवर दिए 12.00 मीटर लम्बाई एवं 3.00 मीटर चौड़ाई तथा रिटेल आउटलेट पर नहाने की व्यवस्था एवं निकास कवर्ड की चौड़ाई 24.00 मीटर है।
9– प्रस्तावित पेट्रोल पम्प का निर्माण आई0आर0सी0 सीरिज सं0–12–2009 के अनुसार किया जाय।
10– आवेदक को प्रस्तावित निर्माण कार्य की भाग रेखा से बाहर दिए 22.86 मी. पम्प 33.05 मीटर 41.86 मीटर एवं गमन निर्माण 50.66 मीटर की दूरी पर है।
11– आवेदक को रिटेल आउटलेट हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड पम्प लगाने की अनुमति मिलने के उपरान्त अपने निजी खर्चे से मान मिजाइपार जीरन ट्रेन (नाली) एवं गोली और पुलिया एवं पहुँच मार्ग तथा 7.00 मीटर चौड़ाई की सर्विस रोड का निर्माण लोकनिर्माण, की विभिन्नियों के अनुसार कराना होगा। 12 वर्षों के लिये सौजाजीर एग्रीमेन्ट निर्माण प्रपत्र (Assessment) पर वर्षों से प्राप्त कर लिया गया है एग्रीमेन्ट की शर्तों अधीन अधिकारी से अनुमति प्राप्त होने के उपरान्त जाम कार्यादी जारी। प्रार्थी का सौजाजीर एग्रीमेन्ट संलग्न है।
12– आवेदक को यह सुनिश्चित कराना होगा, कि पेट्रोल पम्प खाली के पूर्व व पश्चात् मार्ग पर किसी प्रकार से यातायात के संचालन में अवरोध न होने पाये।
13–आवेदक द्वारा किसी भी दशा में पम्प से दुर्गन्धयुक्त एवं जहरीली पानी का बाहर दूरा प्रकार कराना होगा कि पानी बिना किसी अवरोध के सीधा नाली में ही आये तथा किसी भी दशा में रिटेल आउटलेट का पानी मार्ग पर नहीं आना चाहिये एवं नाले को बन्द नहीं किया जायेगा।
14– निर्माण कंट्रोल की दशा को मार्ग की डिपिंग स्लाइ से 0.50 मीटर नीचे रखा जायेगा।
15– 40MM पेट्रोल पम्प के चहुँच मार्ग पर 1.00 मीटर स्लाप की आरसीसी/सी पुलिया का निर्माण लोकनिर्माण की विशिष्टियों के अनुरूप कराना होगा तथा निर्मित की जाने वाली सड़ी पुलियों के बीच रोड साईट सलाही में 1.00 मीटर चौड़ाई का ट्रेन कवरिंग कवर लेवल मार्ग के लेविल बेस का पानी सुचारु एवं सुनिश्चित कराना होगा कि पानी किसी भी दशा में सड़क पर न आने पाये।
16– प्रस्तावित रिटेल पम्प के चहुँच मार्ग का प्रयोग लोकनिर्माण मार्ग से पुलिया की ओर होगा तथा पुलिया आई0आर0सी0–13 के अनुसार निर्मित की जायेगी।
17– प्रस्तावित पेट्रोल पम्प के चहुँच मार्ग का प्रयोग लोकनिर्माण मार्ग के ऊपर न रखी जाये।
18– कवर दिए के पास दीवार की दीवारें 60 मीटर से ऊँचाई पर रखी जाये।
19– प्रस्तावित पेट्रोल पम्प का निर्माण लोकनिर्माण, मार्ग की सम्बन्धित भूमि के बाहर आवेदित भूमि के अनुसार कराना होगा।
20– मार्ग के भाग में 22.86 मीटर की दूरी के बाद पर कोई भाग निर्माण नहीं होना चाहिये।
21– भारतीय मैकानिस्ट के बिन्दु सं.–1 के अनुसार प्रस्तावित पेट्रोल पम्प से निर्धारित मानक के अनुसार न्यूनतम 100 मीटर की दूरी तक कोई 3.00 मीटर चौड़ा मार्ग नहीं होना चाहिए। चालू प्रस्तावित पेट्रोल पम्प से 3.00 मीटर चौड़े मार्ग का दूसरा पेमेन्ट 60.00 मीटर (प्रस्तावित पेट्रोल पम्प की साइड) एवं 92.00 मीटर (डिस्पेंसर साइड) की दूरी पर है। ऐसा स्थिति में सम्बन्धी जाम पेट्रोल पम्प आवाज से पूर्व 60.00 मीटर की दूरी तक सर्विस रोड का निर्माण (आवेदक द्वारा) किया जाना आवश्यक है। यदि 60.00 मीटर की दूरी तक एकाएकार सर्विस रोड का निर्माण (आवेदक द्वारा) नहीं किया जाता है तो निर्माण अनापत्ति मान्य नहीं होगा।
22– यदि निर्माण स्थल की भूमि का भाग्यावान का कोई विवाद विचारधीन हो तो ऐसी स्थिति में कार्यालय जाम–पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
23– प्रस्तावित पेट्रोल पम्प से सम्बन्धित निर्माण कार्य कराने के पूर्व प्रार्थी को अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड, लोकनिर्माण, बिजनौर से लोकनिर्माण रोड एक्सीलाइट कराना आवश्यक है।
24– भूमि के सम्बन्धित का सम्पादन राजस्व विभाग से करा लिया जाये इस सम्बन्ध में लोक निर्माण विभाग का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।
25– लोक निर्माण विभाग मार्ग के चौड़ीकरण के समय यदि भूमि मार्ग का निर्माण कार्य हेतु अन्य आदि को निकट आने की आवश्यकता हुई तो अन्य आदि को निकट आने की अनुमति नहीं दिया जायेगा। भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्रांक आ0अ0का0/ए0एन0–3/2002–19/99–डीएडी0 पृष्ठि दिनांक 31.08.2000, 25.09.2003 एवं 17.10.2003 के दी गयी पेट्रोलियम की का अनुसरण करना होगा।
26– उक्त के अतिरिक्त शपथ–RWNU/14XX-II दिनांक 24.07.2013 के प्रपत्र–5 जिसके अनुसार मार्ग की भूमि का प्रयोग करने के लिये शुल्क रू0 10,000.00 (रू0 दस हजार मात्र) है। मे0 हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड के तीसरे के नाम से रोजमर्रा पत्र से लिया जाये।

अधि0 अभियन्ता
प्रा0ख0,लो0नि0वि0
बिजनौर

सहायक अभियन्ता
प्रा0ख0,लो0नि0वि0
बिजनौर

अधिशासी अभियन्ता
प्रा0ख0,लो0नि0वि0
बिजनौर

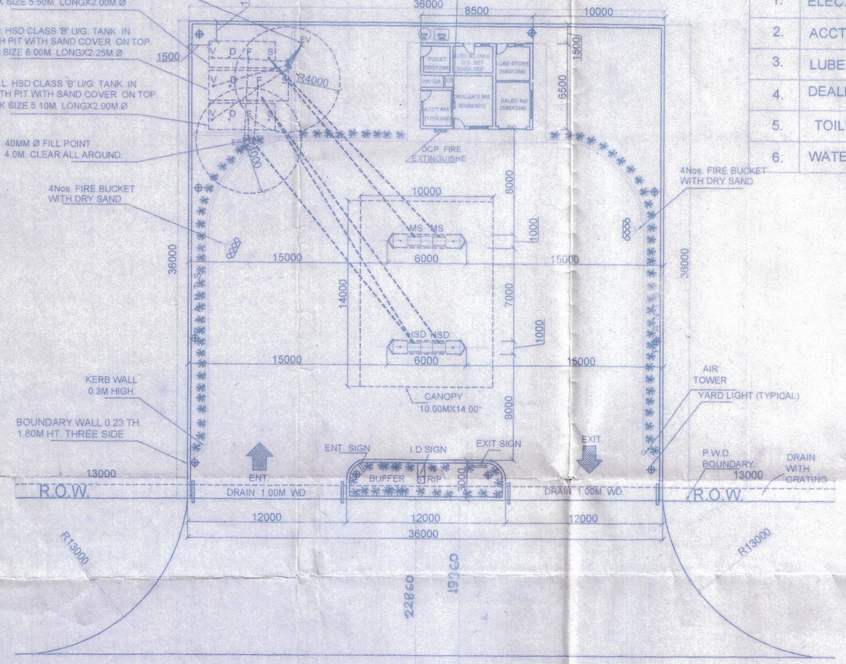

LAYOUT PLAN
(SCALE 1:200)

SALES BUILDING

GROUND FLOOR

SL.NO	TYPE	SIZE IN mm	AREA sqm
1.	ELEC.ROOM	3000X2000	6.00
2.	ACCT. ROOM	2115X2680	4.50
3.	LUBE STORE	2580X2585	6.66
4.	DEALER'S RM	3000X3810	11.43
5.	TOILET	2000X2000	4.00
6.	WATER	1745X900	1.57

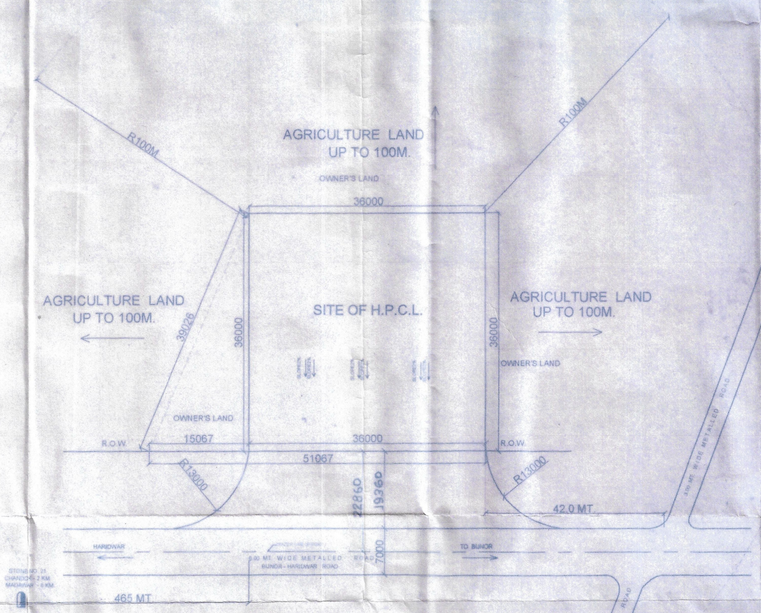

SITE PLAN
(SCALE 1:400)

SCHEDULE OF DISPENSING UNIT

S. NO	DISPENSING UNIT	PRODUCT	NOs.	CLASS
1.	MONO	MS/POWER	02	A
2.	MONO	HSD/TURBO	02	B

SCHEDULE OF TANK

S. NO	SIZE	PRODUCT	CAPACITY	CLASS	REMARKS
1.	6.00M LONGX2.25M Ø	HSD	22 KL	B	U/G TANK
2.	5.50M. LONGX2.00M Ø	HSD	16 KL	B	U/G TANK
3.	5.50M. LONGX2.00M Ø	MS	16 KL	A	U/G TANK

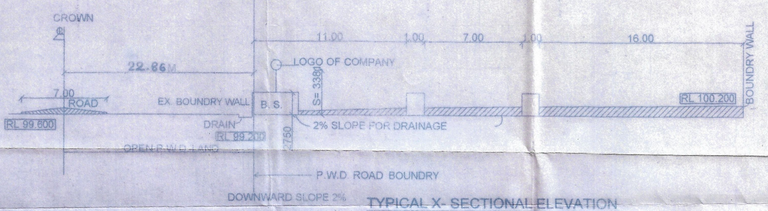

TYPICAL X- SECTIONAL ELEVATION POF A RETAIL OUT LET

DRIVEWAY SECTION DETAIL OF APPROACH ROAD

~~SECTION DETAIL OF DRIWAY~~

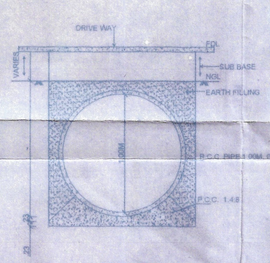

LOADING DETAILS. HUME PIPE CULVERT OF CLASS 'A' TYPE

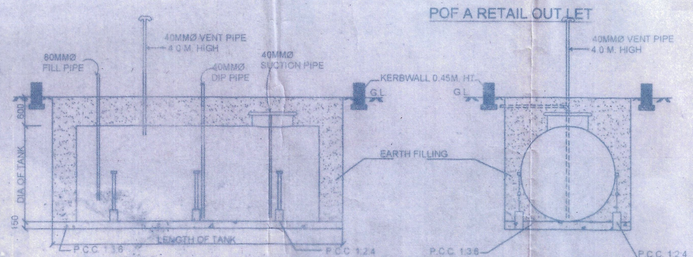

LONGITUDINAL SECTIONAL DETAIL OF TANK INSTALLATION (EARTH)

NO. G-40 (SC)/P/MISC. 94 DATED 24.02.99
I.S. 10987:1992 AS PER C.C.O.E. NAGPUR ORDER

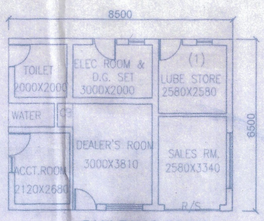

BUILDING PLAN
(SCALE 1:100)

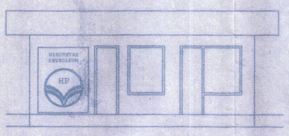

FORANT ELEVATION

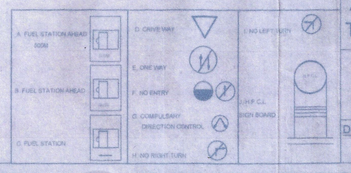

AREA CHART :-

		SQ.MT.
1.	TOTAL PLOT AREA	1296.00
2.	OPEN AREA	1240.75
3.	CANOPY AREA	140.00
4.	BUILDING AREA	55.25
5.	TOTAL COVD. AREA ON GROUND FLOOR	55.25

NOTES :-

1. ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS
2. V= VENT PIPES 4 M HIGH AND END CONERED WITH 2 LAYERS OF BRASS WIRE GAUGE 11 MESH PER LINEAR CENTIMETER.
3. F= FILL POINTS FITTED WITH CAMLOCK COUPLING AND AIR TIGHT THREADED BRASS CAP FOR DECANTING FROM TANK LORRY.
4. D= DIP PIPES WITH CAP ASSEMBLY.
5. ALL ELECTRICAL FITTING AREA FLAME PROOF CONFORMING TO I. S. 2148.
6. ALL DOORS OF BUILDING TO BE OPENED OUTWARDLY.
7. NO SEWER OR SURFACE DRAIN WITHIN 9M. OF THE U/G. TANK & D/U.
8. PREMISES TO BE USED FOR ONLY STORAGE OF PETROLEUM PRODUCTS.
9. TANKS AREA PAINTED WITH TOW LAYERS OF HOT BITUMEN OVER TWO COATS OF RED LEAD PRIMER TO PROTECT AGAINST CORRSION.
10. FABRICATION DESIGN OF UNDER GROUND STORAGE TANK AREA CONFORMING TO I.S.: 10987:1992 AS PER C.C.O.E. NAGPUR ORDER NO. G-40 (SC)/P/MISC. 94 DATED 24.02.99
11. S.B. SAND BUCKET 10 NOs. AS PER EXPLOSIVE S RULES.
12. F.E. FIRE EXTINGUISHER 10 NOs. AS PER EXPLOSIVES RULES.
13. TANK SHOULD BE GINEN HYDROLIC PRESSURE TEST PRIOR TO NSTALLATION AND BEFORE ANY PROTECTIVE COATING AS APPLIED. THE TEST SHOULD BE MAINTIONED AT A CONTROLED PRESSURE OF 0.35 KG./SQ.CM. FOR 2 HOURS.
14. DIP ROD SUPPLIED WITH THE TANK FOR THIS TYPE OF INSTALLATION SHOULD BE 3280 LONG INSTEDS OF STANDARD 2350 MM.
15. FABRICATION THICKNESS OF SHELL PLATES AND END PLATE OF TANKS.
    22 KL.-SHELL - 6MM, END - 8MM. 16 KL.-SHELL - 8MM, END - 6MM.
16. TANKS CONFORMS TO 124,125 & 131 OF THE PETROLEUM - 2002
17. ALL LIGHT POLES AREA FITTED AS PER APPROVAL OF CCE NAGPUR VIDE LETTER NO. PL-111(MB) DATED : 26.11.1983.
18. NATURAL DOWN SLOPE FROM THE EDGE OF METALLED ROAD TO CULVERT ON APPROACHES WALL BE MAINTAINED FREE FLOW OF WATER TOWARDS DRAIN
19. SITE MEETS APPLICABLE IRC 1983 NORMS, WITH LATEST AMENDMENTS
20. EV = EXTENDED VENT POINTS
    EF = EXTENDED FILL POINT S
21. THE PROPOSED SITE IS FREE FROM ANY TYPE OF LITIGATION AND NO CASE IS PENDING IN ANY COURT OF LAW.
22. NO ELECTRICAL LINE IS PASSING OVER THE RO PREMISES.

NEAREST POLICE STATION:-	CHANDOK
NEAREST RAILWAY STATION:-	CHANDOK
KHASRA NO. :-	647
VILL. :-	KHUDAHEDI
TEH. :-	BIJNOR
DISTT. :-	BIJNOR

LICENSE NO. :-

HINDUSTAN PETROLEUM CORP. LTD.
RETAIL REGIONAL OFFICE R.P.G. TOWER MANGAL PANDEYNAGAR MEERUT.

PROPOSED PETROL PUMP SITE FOR HINDUSTAN PETROLEUM CORP. LTD. AT KH. NO. 647, VILL. -KHUDAHEDI , TEH. BIJNOR, DISTT. BIJNOR.

DRG. NO :- HPC/EXP/APP/BLI/03 DATE:- 18/10/18

Subodh Chaudhary
Manager - Retail Upgradation
Hindustan Petroleum Corporation Limited
Meerut Retail Regional Office

DRAWING BY:- CHK. BY:- APP. :-

Duly Constituted Attorney
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड
Hindustan Petroleum Corporation Limited
मेरठ रिटेल क्षेत्रीय कार्यालय - मेरठ
Meerut Retail Regional Office - Meerut